रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 85] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 18, 1994/माघ 29, 1915
No. 85] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 18, 1994/MAGHA 29, 1915

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1994

का.आ. 190(अ)—जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट (जिसे इसमें इसके पश्चात् जे.के. एल. एफ. कहा गया है) एक ऐसा संगम है जो वास्तव में पाकिस्तान और लंदन में स्थित है, और वह भारतीय भूमि पर, विशेषकर जम्मू-कश्मीर में हमदर्दों, समर्थकों, एजेन्टों और स्वयंभू नेताओं के माध्यम से भी सक्रिय है, और—

(1) इसने एक सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से जम्मू-कश्मीर को भारत संघ से अलग करने के अपने उद्देश्य की खुले आम घोषणा की है, और इस प्रयोजन की प्राप्ति के लिये—

(क) जे.के.एल.एफ. ने पाकिस्तान की इन्टर सर्विसेज इंटेलिजेन्स से, जो पाकिस्तान/पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर राज्यक्षेत्र में कश्मीरी युवाओं का प्रशिक्षण आयोजित करता रहा है, निकट संबंध स्थापित किया है और बनाये रखा है।

जे.के.एल.एफ. के कई नेता, जिनमें इसका अध्यक्ष, अमानुल्ला खान, सम्मिलित है, पाकिस्तान/पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में रह रहे हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेन्स एजेंसियों से छापामार युद्ध में मार्गदर्शन और प्रशिक्षण, धन, आयुध, आदि प्राप्त कर रहे है और जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिये आयुध प्रशिक्षण आयोजित कर रहे है ;

(ख) जे.के.एल.एफ. जम्मू-कश्मीर राज्य में अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को निदेश और मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर सशस्त्र आतंकवाद की अगुवाई भी करता रहा है ;

(2) (क) जे.के.एल.एफ. राज्य के लोगों को भारत सरकार और राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिये उकसाने के प्रयोजन हेतु धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग करता रहा है और इन धार्मिक स्थलों का प्रयोग शरणस्थलों और छिपने के ठिकाणों के रूप में तथा शस्त्रों के भण्डारण के लिये करता रहा है ;

(ख) जे.के.एल.एफ. के उग्रवादियों ने, जिनमें उसके शीर्षस्थ स्वयंभू नेताओं में से एक नेता भी सम्मिलित हैं, अक्तूबर, 1993 में हजरत बल दरगाह, श्रीनगर, में आयुध सहित शरण ली थी और निर्दोष नागरिकों को बन्धक बना रखा था, और 16 नवम्बर, 1993 को पुलिस के समक्ष समर्पण करने से पूर्व उन्होंने सुरक्षा बलों द्वारा कोई दबाव बढ़ाए जाने की दशा में दरगाह को उड़ा देने की धमकी दी थी;

(3) जे.के.एल.एफ. राष्ट्र हित के प्रतिकूल खुली घोषणायें करता रहा है, जिसका भारत की अखण्डता और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण नीचे दिये गये हैं :—

(क) जे.के.एल.एफ. ने 16 जनवरी, 1993 को ईदगाह, बदगाम में एक सभा आयोजित की जिसमें फ्रन्ट के स्वयंभू कार्यकारी अध्यक्ष, जावेद अहमद मीर ने आजाद कश्मीर की स्थापना के लिये फ्रन्ट के दृष्टिकोण को दोहराया;

(ख) जे.के.एल.एफ. भारत संघ से अलग होने का प्रचार करता रहा है और इस संबंध में इसने प्रेस के माध्यम से राज्य की जनता को स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त, 1992) को काला दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। जे.के.एल.एफ. द्वारा जारी किये गये आधिकारिक कलेंडर में स्वतन्त्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस को काला दिवसों के रूप में दिखलाया गया है ;

(4) जे.के.एल.एफ. के उग्रवादियों ने हिंसक क्रियाकलापों द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य में आतंक का माहौल पैदा कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक नागरिक तथा सुरक्षा बल कार्मिक मारे गये हैं, नागरिकों का अपहरण तथा उद्दापन किया गया है और सम्पत्ति नष्ट हुई है। इन कार्यों से, जे.के.एल.एफ. ने राज्य की जनता में अव्यवस्था तथा असुरक्षा की भावना पैदा करने और विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्राधिकार का क्षय करने तथा उसे अस्थिर करने का प्रयास किया है;

(5) जे.के.एल.एफ. ने जन-साधारण, राजनैतिक दलों और उनके नेताओं को खुली धमकियां देकर राजनैतिक क्रियाकलाप की पुनः बहाली को धक्का पहुंचाने का प्रयास किया ; और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से, जे.के.एल.एफ. जिसके अन्तर्गत भारत के भीतर और विदेशों में सक्रिय उसके सदस्य, कार्यकर्ता, सशस्त्र ग्रुप, हमदर्द तथा स्वयंभू नेता हैं, एक विधिविरुद्ध संगम है;

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि सुरक्षा बलों और नागरिक आबादी पर अपने सशस्त्र ग्रुपों द्वारा अलग होने के उद्देश्य से लगातार किये जा रहे क्रियाकलापों और हिंसा की बार-बार की जा रही कार्रवाईयों और हमलों के कारण, पूर्ववर्ती पैरा में निर्दिष्ट संगम को तत्काल प्रभाव से विधि-विरुद्ध घोषित करना आवश्यक है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट, जिसके अन्तर्गत भारत के भीतर तथा विदेश में सक्रिय, उसके सदस्य, कार्यकर्ता, सशस्त्र ग्रुप, हमदर्द तथा स्वयंभू नेता हैं, को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आगे यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 13014/19/93-के(डी.ओ.-1)]
मधुकर गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 1994

S.O. 190(E).—Whereas the Jammu and Kashmir Liberation Front (hereinafter referred to as JKLF) is an association actually based in Pakistan and London and also functioning on Indian soil especially in Jammu and Kashmir, through sympathisers, supporters, agents and self styled leaders, and—

(i) it has openly declared as its aim the secession of Jammu and Kashmir from the Union of India through an armed struggle, and to achieve this purpose—

(a) the JKLF has built up and is maintaining close links with the Pakistan's Inter Services Intelligence which has been organising training of Kashmir Youth in Pakistan/Pakistan Occupied Kashmir territory. Many of the JKLF leaders including its Chairman, Amanullah Khan, continue to be in Pakistan/Pakistan Occupied Kashmir, seeking guidance and receiving training in Guerilla Warfare, funds, arms etc. from the Intelligence Agencies of Pakistan and organisation arms training for the youth of Jammu and Kashmir,

(b) the JKLF has also been masterminding armed terrorism by providing directions and guidance to their local activists in the State of Jammu and Kashmir ;

(ii)(a) the JKLF has been misusing religious places for the purpose of instigating the people of the State to wage war against the Government of India and the State Government and using these religious places as sanctuaries and hide-outs, and for the storage of weapons,

(b) the JKLF militants, including one of its top-ranking self styled leaders, had taken shelter with arms and held innocent citizens hostage in the Hazratbal Shrine, Srinagar in October, 1993, and before their surrender to the Police on the 16th day of November, 1993, they had threatened to blow the Shrine in case the security forces mounted any pressure;

(iii) the JKLF has been making open pronouncements prejudicial to the interest of the Nation and having serious repercussions for the integrity and security of India. Some important instances are enumerated below :—

(a) the JKLF organised a congregation at Idgah, Budgam, on 16th January, 1993 in which Javed Ahmed Mir, the self styled Acting President of the Front, reiterated the stand of the Front for establishing an independent Kashmir;

(b) the JKLF has been preaching secession from the Union of India and in this connection it gave calls through the press to the people of the State to observe Independence Day (15th August, 1992) as black day. The Independence Day as well as Republic Day figure as black days in the official calendar issued by JKLF ;

(iv) the JKLF militants have unleashed a reign of terror in the State of Jammu and Kashmir by indulging in violent activities resulting in the death of a large number of civilians and security force personnel, abduction and extortion of citizens, and destruction of property. By these acts, JKLF has tried to create chaos and insecurity among the people of the State, and to erode the authority of, and destabilise, the Government established by law;

(v) the JKLF has also attempted to sabotage the revival of political activity by giving open threats to members of the general public, Political parties, and their leaders;

And whereas the Central Government is of the opinion that for the aforesaid reasons the JKLF including its members, activists, armed groups sympathisers and self styled leaders operating inside India and abroad is an unlawful association;

And whereas the Central Government is further of the opinion that because of its continued activities aimed at secession and the repeated acts of violence and attacks by its armed groups on the security forces and on the civilian population, it is necessary to declare the association referred to in the preceding paragraph to be unlawful with immediate effect ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Jammu and Kashmir Liberation Front (JKLF) including its members, activists, armed groups, sympathisers and self-styled leaders operating inside India and abroad to be an unlawful association ;

And further in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of the said action, the Central Government directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 13014/19/93-K(DO-I)]

MADHUKAR GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994